न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चितौड़गढ (राज0)

प्रकरण संख्याः– 36/2019 दिनांकः–12.04.2019

श्री जगन्नाथ पिता प्रभूलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी मेलाना तह0 निम्बाहेड़ा ।

//बनाम//

1. घीसालाल पिता धुला जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी मेलाना तह0 निम्बाहेड़ा।
2. मोहन पिता गोटू जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी मेलाना तह0 निम्बाहेड़ा।
3. सोहन पिता गोटू जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी मेलाना तह0 निम्बाहेडा।
4. काशीराम पिता चम्पा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी मेलाना तह0 निम्बाहेडा।
5. राधाकिशन पिता लालु जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी मेलाना तह0 निम्बाहेड़ा।
6. प्रहलाद पिता काशीराम जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी मेलाना तह0 निम्बाहेड़ा।
7. सुरेश पिता काशीराम मुतबन्ना सौलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी मेलाना तह0 निम्बाहेड़ा।

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0ले0रे0एक्ट

आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई । प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा मेलाना प0ह0 मेलाना तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 176 की आराजी न0 1240 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, एवं आराजी न0 1250 रकबा 0.1200 हैक्टेयर, आराजी न0 1271 रकबा 0.1300 हैक्टेरयर कुल कीता 3 कुल रकबा 0.5000 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पड़ौसी है। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 200/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि वाके मौजा मेलाना प0ह0 मेलाना तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 176 की आराजी न0 1240 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, एवं आराजी न0 1250 रकबा 0.1200 हैक्टेयर, आराजी न0 1271 रकबा 0.1300 हैक्टे यर कुल कीता 3 कुल रकबा 0.5000 हैक्टेयर भूमि की उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं हाने की स्थिति में , किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 12.04.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2019.12.05 18:04:06 IST
Reason: SelfAttested